संख्याःपीसीएच–एचए (1)9/06–II-NOC- 21629-720
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

सेवा में

1. समस्त जिला पंचायत अधिकारी
   हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी
   हिमाचल प्रदेश।

शिमला–171009 दिनांक 21 मार्च, 2020.

विषयः– अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रों दिनांक 31.08.2019 के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सन्दर्भ में विभाग के ध्यान में आया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में उलझन (confusion) की स्थिति है। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि, हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा उसके तद्धीन बनाए गए नियमों (Except Provision of PESA Act 2006) में ग्राम पंचायतों द्वारा किसी भी परियोजना, व्यवसाय इत्यादि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है, किन्तु यदि विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों व अन्य एजैंसियों के नियमों व दिशा निर्देशों में पंचायत क्षेत्र में परियोजना, उद्योगों, व्यवसायों आदि की स्थापना के लिए अगर ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया है और यदि उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग, बोर्ड, निगम, अन्य एजैंसी या व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की जाती है तो ग्राम पंचायत ऐसे अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत की बैठक में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके जारी कर सकती है।

भवदीय

(केवल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक
पंचायती राज विभाग
हिमाचल प्रदेश।